न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

राज्य।
बनाम
अल्टो 800 कार रजिस्ट्रेशन नं० BR-19G-9018

आदेश पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,
केस का प्रकार–

केस संख्या–**394/2020–21**,
बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त अल्टो 800 कार रजिस्ट्रेशन नं० BR-19G-9018 के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–: आदेश :– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक 4852/हि०शा०, दिनांक 31.12.2019 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव महिषी थाना कांड संख्या–139/2019 में जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त अल्टो 800 कार रजिस्ट्रेशन नं० BR-19G-9018 के अधिहरण से संबंधित है। महिषी थाना कांड संख्या–139/2019, घटना का स्थान– झिटकी लक्ष्मिणीयाँ जाने वाले अर्धनिर्मित सड़क मोड के पास (महिषी), घटना की तिथि– 02.09.2019 के संबंध में पुलिस द्वारा प्रतिवेदित घटना की संक्षिप्त विवरणी यह है कि– "यह काण्ड दिनांक–02.09.2019 को वादी स०अ०नि० पैकस टोप्पो महिषी थाना के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त रोहित कुमार झा पिता–सुरेन्द्र कुमार झा, सा0– मुरादपुर, थाना–नवहट्टा अन्य दो सभी जिला–सहरसा के विरुद्ध अवैध रूप से विदेशी शराब ओल्टो 800 कार जिसका रजि0 नम्बर–बी0आर0–19जी0–9018 से परिवहन करने एवं अवैध हथियार रखने के आरोप में काण्ड दर्ज किया गया है। उक्त काण्ड के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त रोहित कुमार झा पिता–सुरेन्द्र कुमार झा, सा0–मुरादपुर थाना–नवहट्टा अन्य दो सभी जिला–सहरसा को घटना स्थल से विदेशी शराब Officer Choice कागज के कार्टुन जैसा बना डब्बा 180 एम0एल0 25(पच्चीस) डब्बा प्रत्येक डब्बा में 180 एम0एल0 के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। उक्त काण्ड में जप्त प्रदर्श नमूना का 02 (दो) डब्बा मात्रा–360 एम0एल0 को उत्पाद रसायन परीक्षण विभाग बिहार, कुम्हरार, पटना के पास जाँच हेतु भेजा गया है।" प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त अल्टो 800 कार रजिस्ट्रेशन नं० BR-19G-9018 के अधिहरण करने	

हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ कर जप्त अल्टो 800 कार रजिस्ट्रेशन नं० BR-19G-9018 के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन मालिक रोहित झा, पिता– सुरेन्द्र कुमार झा, साकिन–मुरादपुर, थाना–नवहट्टा, जिला– सहरसा वर्त्तमान पता–गौतमनगर वार्ड नं0 11, थाना+जिला–सहरसा द्वारा भी उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

उनका कहना है कि वाहन मालिक महिषी थाना कांड संख्या– 139/2019 से संबंधित मामले को लेकर सहरसा जेल में है, इस कारण वे अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख रहें है। वाहन मालिक द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोप से इंकार कर कहा गया है कि जप्त गाड़ी फाइनेन्स पर ली गई है। जप्त गाड़ी से किसी प्रकार के अवैध शराब की बरामदगी नहीं हुई है। उनके उपर लगाया गया आरोप स्थानीय राजनीति के तहत है। इनके द्वारा मुख्यतः उक्त तथ्यों के आलोक में जप्त गाड़ी को मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि जप्त वाहन व अभियुक्त को रंगे हाथ अवैध शराब के परिवहन करने के क्रम में गिरफ्तार किया गया है। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, पुलिस अधीक्षक सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त वाहन को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना।

चूँकि जप्त वाहन में अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में उक्त वाहन का अधिहरण करना विधिसम्मत् एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। वाहन मालिक द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है, वह विचारणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जप्त वाहन को राज्य के पक्ष में अधिहरण करने हेतु आदेश दिया जाता है।

अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को एवं सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भी भेजें।

इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता
सहरसा।

समाहर्त्ता
सहरसा।

ज्ञापांक 120 /न्याया०, सहरसा, दिनांक 28.01.21

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

28.01.21

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

28/01/21.